Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर सेशन न्यायाधीश, कम–1, अजमेर (राज.)

श्री गुजराती महामण्डल बनाम विट्ठल भाई व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी विविध नम्बर 52 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09-06-2026	वकील प्रार्थी श्री विभोर गौड़ उपस्थित। अप्रार्थी सं.1,3,6,7,10,11,12 व 16 की ओर से श्री अविनाश शर्मा, अधिवक्ता। अप्रार्थी सं. 2,4,8,9,13,14 व 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। वकील प्रार्थी को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी सं. 1 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है, जिसके अधीन प्रार्थी सं. 2 कार्यरत है व प्रार्थी सं. 1 के संविधान के अंतर्गत वर्तमान कार्यकारिणी 23.03.25 से कार्यरत है व कार्यावधि 2025-2028 तक की है। अप्रार्थी सं. 1 ट्रस्ट दि. 07.02.62 से गठित ट्रस्ट है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण दो पृथक-पृथक संस्थाएं हैं, जिनका आपस में एक-दूसरे पर नियमों के तहत् कोई हक-अधिकार निर्भरता नहीं है के पश्चात् भी बिना किसी विधिक अधिकार के अप्रार्थीगण ने दि. 29-3-2026 को प्रार्थीगण को ना केवल तुरन्त प्रभाव से भंग कर दिये जाने की लिखित निर्णयादेश सूचना दी है, बल्कि अगले चुनावों के द्वारा नई गुजराती महामण्डल कार्यकारिणी एवम् विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित होने तक प्रतिवादीगण के ट्रस्ट मण्डल द्वारा सभी आवश्यक कार्य के निष्पादन करने की एकतरफा, बिना अधिकार के, बिना प्रार्थीगण की सहमति के, यह कथित निर्णयादेश जारी कर दिया है, जो अविधिक, अधिकार विहीन एवम् बिना क्षेत्राधिकारिता के जारी किया गया निर्णयादेश है जो प्रार्थना-पत्र की मद सं. 5 में वर्णितानुसार पारित किया है, जिससे आगामी दि. 19-4-2026 को श्री गुजराती महामण्डल की साधारण सभा कचहरी रोड पर मौजूद गुजराती हायर सैकेण्डरी स्कूल के सभागार में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की खाली पद भरने के लिए नियुक्ति, नॉन गुजराती सदस्यों के लिए चर्चा एवं सभा के अध्यक्ष की मंजूरी से उठाए गए सवालों पर विचार पर फैसले	

9.6.26

लेने के लिए निर्धारित की गई। जिसमें अप्रार्थीगण ने दि. 31-3-2026 को सत्र 2026-2029 के लिए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए एकतरफा कार्यवाही करते हुए, प्रार्थीगण के स्थान पर नई कथित अवैध कार्यकारिणी के 13 सदस्यों के चुनाव की घोषणा भी कर दी, जो भी उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रारंभतः अवैध व शून्य, प्रार्थीगण के प्रति बेअसर, प्रभावहीन घोषित किए जाने योग्य है। जिस बाबत दिवानी वाद सं. 101 /2026, शीर्षक गुजराती महामण्डल व अन्य बनाम् विट्ठल भाई पटेल व अन्य प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद सं. 9 व 10 में वर्णितानुसार अनुतोष मांगा व चाहा गया था। जिस अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय ने दि. 18.04.2026 को प्रार्थना पत्र की मद सं. 11 में वर्णितानुसार आदेश पारित कर मौजूदा विवाद को आर्बिट्रेशन को रेफर कर तारीख पेशी 29.05.26 निर्धारित की, जिस कार्यवाही में समय लगने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्षों को बहुत सी प्रक्रियाओं का सामना करना है, तब तक अप्रार्थीगण, उनके प्रतिनिधि, असाईनीज़, मुख्त्यारआम, पदाधिकारी इत्यादि को प्रार्थना पत्र की मद सं. 15 में वर्णितानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया है।

जवाब में वकील अप्रार्थी सं. 1,3,5,6,7,10, 11, 12 व 16 का मुख्यतः कथन रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के नोटिस के साथ केवल मात्र प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त हुई हैं तथा संलग्न दस्तोवज की प्रति प्राप्त नहीं हुई हैं एवं साथ ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में संस्था के एवं ट्रस्ट के संविधान, बॉयलोज, ट्रस्ट डीड आदि भी प्रस्तुत नही कि हैं, न्यायालय सिविल जज (क. ख.) उत्तर, अजमेर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया हैं जो वर्तमान में भी लम्बित होना वर्णित हैं तथा विधि के सुस्थापित सिद्वान्त अनुसार एक समान तथ्य आधार एवं अनुतोष हेतु दो समानान्तर कार्यवाहियां नहीं कि जा सकती हैं, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि संस्था की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, ना कि व्यक्तिगत हैसियत में तथा अभिकथनों में कोई भी प्रार्थना प्रस्तुति हेतु संस्था की ओर से विधिवत कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो, का अंकन नहीं हैं। संस्थान के विधान

9.6.26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	बॉयलॉज में वर्णित शर्त संख्या 30 के अन्तर्गत कोई भी विधिक कार्यवाही प्रार्थी संस्था की ओर से अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकती हैं, तथाकथित सचिव के रूप में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र विधि अनुसार ही पोषणीय नहीं हैं। ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत Arbitration Clause में स्पष्ट अंकन हैं कि एक द्वारा Nominate किया जायेगा दूसरा Arbitrator सदस्य Elected ट्रस्टी द्वारा Nominate किया जायेगा तथा तीसरा एम्पायर Nominate किया जायेगा। दोनों सदस्य में भिन्न मत होने पर एम्पायर के मत अनुसार बहुमत से निर्णय मान्य होगा। उक्त अनुसार प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 21 मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अनुसार भी पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के अभिकथनों से स्पष्ट हैं कि कार्यकारिणी को भंग किया जा चुका हैं जिसके अनुसार तथाकथित राजेश अम्बानी सचिव कतई नहीं हैं तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर गलत हैसियत में प्रस्तुत किया गया हैं । जो पोषणीय नहीं हैं तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजेश अम्बानी द्वारा संस्था की सील का उपयोग कार्यकारिणी को भंग किये जाने के बावजूद कर दुरूपयोग किया हैं। प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्य एवं कथनों से स्पष्ट हैं कि पूर्व कार्यकारिणी एवं कार्यसमिति भंग की जाकर नयी कार्यकारिणी एवं कार्यसमिति का चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होकर नये कार्यकारिणी एवं कार्यसमिति के अध्यक्ष सचिव एवं अन्य पदाधिकारी निर्वाचित होकर अपना पदभार ग्रहण कर संस्था का मैनेजमेन्ट, वित्तीय बैंक खाता ऑपरेशन एवं समस्त कार्य निष्पादित एवं सम्पादित कर रहें हैं। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो कथित रूप से अनुतोष का अंकन कर जिन आधारों पर एवं जिन तथ्यों एवं अभिकथनों का वर्णन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं वह infructuous हो चुका हैं। दिनांक 30.04.2026 को ही विधिवत आर्बीटेटर की नियुक्ति की जाकर संस्था कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा चुका हैं जिसकी समस्त एवं सम्यक जानकारी राजेश अम्बानी को भी हो गयी हैं एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को रिकॉर्ड से संबंधित होने व अन्य तथ्यों को गलत एवं विधि विरूद्ध बतलाकर अस्वीकार किया जाकर ट्रस्ट मण्डल द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए पूर्व कार्यकारिणी को भंग किया तथा विधिवत चुनाव प्रक्रिया	

6-26

पूर्ण कर नयी कार्यकारिणी, कार्यसमिति एवं ट्रस्ट मण्डल का गठन किया हैं। जिसके अनुसार लम्बित वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समान अनुतोष, समान तथ्यों पर प्रस्तुत किये गये हैं विधि अनुसार वर्णित अनुतोष infructuous हो चुके हैं तथा उक्त अनुसार ही प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना बता खारिज होने योग्य जाहिर किया जाकर सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का व प्रस्तुत दस्तावेजात अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस मुख्यतः निवेदन रहा कि प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र मूल रूप से धारा 9 मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल पत्रावली पर आदेश जारी करते हुऐ यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दोनों पक्षों के मध्य स्थापित करार में आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाना अंकित किया हुआ है, अतः पक्षकारान् अपने करार के अग्रसरण में आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की पालना कर न्यायालय को अवगत कराये। अप्रार्थी पक्ष के द्वारा उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुऐ यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही जो कि इनफ्रेक्चुअस नहीं रह जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्बिट्रेशन क्लॉज के अग्रसरण में कार्यवाही की पालना हेतु आदेशित किया गया है, अतः ऐसा आदेश प्रभावी नहीं होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है।

उक्त उभयपक्ष के तर्को पर मनन करने के उपरांत यदि हम प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करें तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांकित 20.4.2026 के अग्रसरण में इस न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ कार्यवाही कराने के दौरान स्थगन आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मेरे द्वारा धारा 9 मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन

9.6.26

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –5–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

किया गया जो निम्न प्रकार से है-

9. Interim measures, etc. by court. -A party may, before or during arbitral proceedings or at any time after the making of the arbitral award but before it is enforced in accordance with section 36, apply to a court: -

(i) For the appointment of a guardian for a minor or a person of unsound mind for the purposes of arbitral proceedings; or

(ii) For an interim measure of protection in respect of any of the following matters, namely: -

(a) The preservation, interim custody or sale of any goods, which are the subject matter of the arbitration agreement;

(b) Securing the amount in dispute in the arbitration;

(c) The detention, preservation or inspection of any property or thing which is the subject-matter of the dispute in arbitration, or as to which any question may arise therein and authorising for any of the aforesaid purposes any person to enter upon any land or building in the possession of any party, or authorising any samples to be taken or any observation to be made, or experiment to be tried, which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence;

(d) Interim injunction or the appointment of a receiver;

(e) Such other interim measure of protection as may appear to the court to be just and convenient, And the Court shall have the same power for making orders as it has for the purpose of, and in relation to, any proceedings before it.

उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से धारा 9 मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम के तहत न्यायालय के द्वारा मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान अथवा उससे पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा दे सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि हम देखें तो प्रार्थी के द्वारा मध्यस्थ की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक आदेश जारी कर प्रार्थी संस्था को भंग करने पर उतारू है, यदि प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता है तो मध्यस्थ की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाऐगा, अतः मध्यस्थ की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मेरे द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी आदेश दिनांकित 29.03.2026 का अवलोकन किया गया, जिसमें वर्तमान गुजराती महामण्डल कार्यकारिणी एवं विद्यालय प्रबंध समिति को तुरन्त प्रभाव से भंग किये जाने का अंकन है, यदि इस प्रक्रम पर अंतरिम स्थगन नहीं दिया जाता है तो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही फलहीन हो जाऐगी एवं प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण करार के मुताबिक आर्बिट्रेशन किया जाना आवश्यक है, परिणामतः उपरोक्त समग्र विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम निषेधाज्ञा इस हद तक स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –6–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांकित 29.03.2026 का प्रभाव आर्बिट्रेशन की अग्रिम कार्यवाही/आदेश तक अस्थाई तौर पर स्थगित किया जाता है। प्रार्थी पक्ष आगामी तारीख पेशी पर मध्यस्थ द्वारा की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली वास्ते उक्त हेतु दि. 07.07.26 को पेश हो। 9.6.26	